



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



विज्ञापन संख्या:-05 / 2025

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत AYUSH MO (Mainstream / RBSK) के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC) में आयुष चिकित्सक यथा- आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी के संविदागत रिक्त पदों [एकमुश्त मानदेय 32,000/- रुपये प्रतिमाह] पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

| क्र० सं० | पदनाम                       | पदों की कोटिवार विवरणी<br>(35% महिला, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती नतीनी को देय आरक्षण सहित) |     |     |    |     |     |     | *कुल | अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                             | UR                                                                                                                     | EWS | SC  | ST | EBC | BC  | WBC |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1)      | आयुष चिकित्सक (आयुर्वेदिक)  | 550                                                                                                                    | 138 | 239 | 16 | 256 | 169 | 43  | 1411 | i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. डिग्री (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी), जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।<br>ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।<br>iii) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना में निबंधन होना चाहिए। |
| (2)      | आयुष चिकित्सक (होमियोपैथिक) | 295                                                                                                                    | 71  | 139 | 8  | 108 | 58  | 27  | 706  | i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एच.एम.एस. डिग्री (बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसीन एण्ड सर्जरी), जो केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद्, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।<br>ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।<br>iii) बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना में निबंधन होना चाहिए।              |
| (3)      | आयुष चिकित्सक (यूनानी)      | 204                                                                                                                    | 50  | 95  | 7  | 67  | 61  | 18  | 502  | i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.यू.एम.एस. डिग्री (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसीन एण्ड सर्जरी), जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो।<br>ii) अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।<br>iii) बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना में निबंधन होना चाहिए।    |
| कुल-2619 |                             |                                                                                                                        |     |     |    |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(UR-Unreserved, EWS-Economically Weaker Section, SC-Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, EBC-Extremely Backward Class, BC-Backward Class, WBC-Women of Backward Classes)

\* नोट : आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

*(Signature)*

*(Signature)*

**आयु सीमा**— दिनांक 01.08.2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार निम्नानुसार से अधिक न हो:-

- |                                                        |   |         |
|--------------------------------------------------------|---|---------|
| (i) अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरुष)                         | — | 37 वर्ष |
| (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) | — | 40 वर्ष |
| (iii) अनारक्षित वर्ग/EWS (महिला)                       | — | 40 वर्ष |
| (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)   | — | 42 वर्ष |
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-62, दिनांक- 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (vi) विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करते हों।

**सामान्य निर्देश—**

1. आयु सीमा के लिए **Cut off Date- 01.08.2024** होगी।
2. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत Website- <https://shs.bihar.gov.in/> के “HUMAN RESOURCE>>Advertisement” page पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक कर के विस्तृत-निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु विहित ToR एवं विस्तृत-निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
3. उक्त पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि/समय निम्नवत् निर्धारित है :-

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| प्रारंभिक तिथि एवं समय | 26/05/2025 के 10:00 बजे पूर्वाह्न से |
| अंतिम तिथि एवं समय     | 15/06/2025 के 06:00 बजे अपराह्न तक   |

4. स्वास्थ्य विभाग से रोस्टर अनुमोदन तथा आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की रिक्ति की संख्या घट या बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए, विज्ञापन को रद्द करने/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

*Bmr*

*Rusai*

*Subash*  
03/05/25  
कार्यपालक निदेशक